14 फारम सं0-563

आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

-23 प्रकाश राम पिता स्व0 दुलार राम, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-56 प्लॉट संख्या-123, रकवा-0.0433 एकड़ (4.33 डिसमिल) (चार दशमलव तीन तीन डिसमिल) भूमि (1.) दुलारी देवी पति सुखदेव महतो एवं (2.) अंजनी देवी पति चिन्तामणी महतो, निवास स्थान ग्राम-अरहरा, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22019017 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-315/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1479/रा0 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 189 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अ0पि0व0 के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला संख्या 417 दिनांक 18.01.1962 से खरीदगी हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत फागू तेली वगैरह है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.78 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार खतियानी/जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 0.1517 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-96/III पर श्रीमती मैना कुमारी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत एवं आवेदक में माता एवं पुत्र का संबंध है। संयुक्त खाता में रकवा 10.84 डिसमिल एवं खाता संख्या-38 में रकवा 12.26 डिसमिल भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 10.84 डिसमिल एवं 12.26 डिसमिल भूमि बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में प्रकाश राम पिता स्व0 दुलार राम, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरु, थाना नं0-147, खाता संख्या-56 प्लॉट संख्या-123, रकवा-0.0433 एकड़ (4.33 डिसमिल) (चार दशमलव तीन तीन डिसमिल) भूमि (1.) दुलारी देवी पति सुखदेव महतो एवं (2.) अंजनी देवी पति चिन्तामणी महतो, निवास स्थान ग्राम-अरहरा, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) /02/17
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

(हस्ताक्षर) /02/17
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.22 13:54:36 +05:30
Location: 192.168.0.102